

फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाने की राज्यपाल की शक्ति

प्रलिस के लिये:

फ्लोर टेस्ट, संवैधानिक प्रावधान, राज्यपाल की वविकाधीन शक्तियाँ

मेन्स के लिये:

अधविशन के लिये बुलाने की राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने कहा है कि [राज्यपाल](#) पार्टी सदस्यों के आंतरिक मतभेदों के आधार पर सदन को [फ्लोर टेस्ट](#) के लिये नहीं बुला सकता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक राजनीतिक दल के दो गुटों के बीच वविद के मामले की सुनवाई करते हुए [शुविास मत हेतु बुलाने संबंधी राज्यपाल की शक्तियों और भूमिका पर चर्चा की](#)।

सदन को फ्लोर टेस्ट हेतु राज्यपाल कैसे बुलाता है?

■ परिचय:

- संवधान का [अनुच्छेद 174](#) राज्यपाल को राज्य वविधानसभा को [आहूत करने, वघिटति करने और सत्रावसान करने](#) का अधिकार देता है।
 - संवधान का अनुच्छेद 174(2)(b) राज्यपाल को [सदन की सहायता और परामर्श पर वविधानसभा को वघिटति करने की शक्ति देता है](#)। हालाँकि राज्यपाल अपने वविक का इस्तेमाल तब कर सकता है जब बहुमत पर प्रश्नचिह्न उठने पर किसी मुख्यमंत्री द्वारा परामर्श दिया जाता है।
- [अनुच्छेद 175\(2\)](#) के अनुसार, सरकार के पास संख्या बल है या नहीं यह साबित करने के लिये तथा [फ्लोर टेस्ट](#) के लिये राज्यपाल [सदन को बुला सकता है](#)।
- हालाँकि, राज्यपाल इस अधिकार का प्रयोग [केवल संवधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार कर सकता है](#), जिसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रपरिषद की सहायता और परामर्श पर कार्य करता है।
- सदन के सत्र में होने पर अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट की घोषणा कर सकता है। हालाँकि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की अवशिष्ट शक्तियों के अनुसार, उसे वविधानसभा के सत्र में नहीं होने पर फ्लोर टेस्ट की घोषणा करने का अधिकार है।

■ राज्यपाल की वविकाधीन शक्ति:

- अनुच्छेद 163(1) मूल रूप से राज्यपाल की वविकाधीन शक्तियों को [उन स्थितियों तक सीमति करता है जहाँ संवधान स्पष्ट रूप से यह आदेश देता है](#) कि राज्यपाल को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिये।
- मुख्यमंत्री के बहुमत का समर्थन खो देने की स्थिति में [अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल अपनी वविकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है](#)।
- आमतौर पर मुख्यमंत्री के पक्ष में बहुमत पर संदेह की स्थिति में [वपिक्ष और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं](#)।
- कई मौकों पर न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब सत्ता पक्ष का बहुमत सवालों के घेरे में [होतो फ्लोर टेस्ट यथाशीघ्र उपलब्ध अवसर पर आयोजित किया जाना चाहिये](#)।

राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट की मांग पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी:

- वर्ष 2016 में [नबाम रेबिया और बमांग फेलकिस बनाम उपाध्यक्ष मामले](#) (अरुणाचल प्रदेश वविधानसभा) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि [सदन बुलाने की शक्ति पूरी तरह से राज्यपाल में नहिंति नहीं है और इसका प्रयोग मंत्रपरिषद की सहायता तथा सलाह से किया जाना चाहिये](#), न कि स्वयं ही।

- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल एक नरिवाचति अधिकारी नहीं है और केवल राष्ट्रपति द्वारा नयुक्त नामांकति व्यक्त है, इस तरह के नामांकति व्यक्त के पास राज्य वधानमंडल के सदन या सदन के लोगों के प्रतनिधियों पर वीटो शक्ति नहीं हो सकती है।
- वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने शविराज सहि चौहान और अन्य बनाम स्पीकर, मध्य प्रदेश वधानसभा और अन्य मामले में प्रथम दृष्टया यह वचिर आने पर कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, फ्लोर टेस्ट के लयि स्पीकर की शक्तियों को बरकरार रखा।
 - यदि राज्यपाल को उसके पास उपलब्ध स्रोतों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को सदन का वशिवास प्राप्त है या नहीं, तब ऐसी परस्थिति में राज्यपाल को शक्ति परीक्षण का आदेश देने की शक्ति से वंचति नहीं कयि जा सकता है। ऐसी स्थिति में मुद्दे को फ्लोर टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है।

फ्लोर टेस्ट:

- यह बहुमत के परीक्षण के लयि इस्तेमाल कयि जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेह है, तो उसे सदन में बहुमत साबति करने के लयि कहा जा सकता है।
- गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को वशिवास मत पेश करने और बहुमत हासलि करने के लयि कहा जा सकता है।
- स्पष्ट बहुमत के अभाव में जब सरकार बनाने के लयि एक से अधिक व्यक्तगत हसिसेदारी की आवश्यकता होती है, तो राज्यपाल यह जानने के लयि एक वशिष सत्र बुला सकता है कि सरकार बनाने के लयि किसके पास बहुमत है।
- कुछ वधायक अनुपस्थति हो सकते हैं या मतदान करने से इनकार कर सकते हैं। अर्थात् आँकड़ों की गणना केवल उन वधायकों के आधार पर की जाती है जो मतदान में उपस्थति हों।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधसिपति करने के लयि रपिर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नयुक्ति करना
3. राज्य वधानमंडल द्वारा पारति कतपय वधियकों को भारत के राष्ट्रपति के वचिर के लयि आरक्षति करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लयि नयिम बनाना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. राज्यपाल द्वारा वधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का वविचन कीजयि। वधायिका के समक्ष रखे बनिा राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की वविचना कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2022)

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)